

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क./भा.भु.यो/14/2018/3687
प्रति

भोपाल, दिनांक 28/03/2019

संयुक्त/उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय— भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा

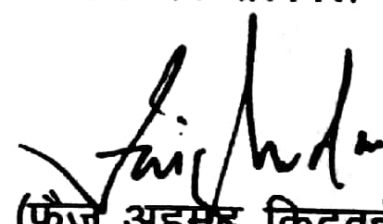
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति —
जिला — (समस्त)

विषय :— रबी वर्ष 2019 की “जय किसान समृद्धि योजना” अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची का यूनिक आईडी नम्बर समस्त विक्रय संव्यवहारों पर दर्ज किये जाने के संबंध में।

रबी वर्ष 2019 की “जय किसान समृद्धि योजना” अंतर्गत मंडी प्रांगण एवं आईटीसी केन्द्रों में किए जाने वाले विक्रय संव्यवहार में प्रवेश पर्ची का नम्बर (यूनिक आईडी नम्बर) अनिवार्यतः दर्ज किया जाना है। मंडी प्रांगण एवं आईटीसी केन्द्रों में प्रवेश के समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस/स्मार्ट फोन आधारित एप्प अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश क्रमांक प्रदाय किया जावेगा। यह प्रवेश क्रमांक प्रत्येक किसान को तथा प्रत्येक वाहन को प्रदाय किया जावेगा। अर्थात् यदि एक वाहन में एक से अधिक कृषकों की उपज लाई गई है तो प्रत्येक कृषक के लिए पृथक-पृथक प्रवेश क्रमांक प्रदाय किया जावेगा, साथ ही यदि एक कृषक एक से अधिक बार उपज लाता है तो प्रत्येक वाहन की प्रवेश पर्ची एवं प्रवेश क्रमांक पृथक-पृथक प्रदाय किया जावेगा। प्रत्येक प्रवेश क्रमांक यूनिक होगा। दिन समाप्त होने पर प्रवेश पर्चियों की कुल संख्या एवं अनुमानित मात्रा का गोषवारा आंचलिक कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। गोषवारा पर प्रांगण प्रभारी/सचिव के प्रति हस्ताक्षर होंगे। कृषि उपज लाने वाले वाहन का पंजीयन क्रमांक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसका फोटो सिस्टम पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची का क्रमांक विक्रय संव्यवहार के समस्त अभिलेखों यथा—अनुबंध पर्ची, तौल पर्ची एवं भुगतान पत्रक पर इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा। इस आदेश एवं प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जावे। इस आदेश एवं प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले मंडी कर्मचारियों/अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

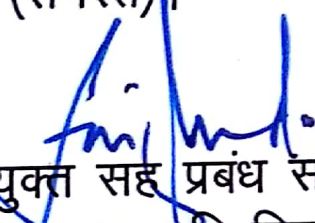
आंचलिक संयुक्त/उप संचालक प्रतिदिन की रिपोर्ट अपने अंचल की समस्त मंडियों एवं आईटीसी केन्द्रों से प्राप्त कर कार्यालय में रिकार्ड रखेंगे तथा इसका सतत् पर्यवेक्षण करेंगे। किसी प्रकार की विसंगति एवं अनियमितता पाये जाने पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।


(फैज़ अहमद किदवाई)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क. / भा. भु. यो / 14 / 2018 / स्वी / 3690
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक 28/03/2019

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. कलेक्टर - जिला (समस्त)।
2. अपर संचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
3. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी भोपाल।
5. भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति - (समस्त)।


आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल